

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।क्रमांक: एफ 2(8)15/विधि/प्रमुखस/ 9060-9184  
निमित्त,

दिनांक: 9.10.15

समस्त वनाधिकारिगण,

विषय:-माननीय उच्च न्यायालय ने डी बी सिविल स्पेशल अपील (रिट नं० 75/2015) राजस्थान राज्य व अन्य बनाम दिनेश कुमार में विलम्ब से प्रस्तुत अपील के संबंध में।

संदर्भ: शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्रांक प.12 (19) राज/वाद/15 दिनांक 09.09.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित छाया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने डी बी सिविल स्पेशल अपील (रिट नं० 75/2015) राजस्थान राज्य व अन्य बनाम दिनेश कुमार में विलम्ब से प्रस्तुत अपील के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए विधि विभाग को निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया है :-

1. कितने प्रकरणों में विधि विभाग द्वारा नो अपील की राय दिये जाने के उपरान्त भी प्रशासनिक विभागों द्वारा अपील का निर्णय लेकर अपील प्रस्तुत की गयी।
2. कितने प्रकरणों में अपील की अवधि समाप्त होने के पश्चात अपील दायर की गयी। उक्त विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब के लिए दोषी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये की गयी कार्यवाही से अवगत करावें।

अतः बिन्दु संख्या 1 व 2 पर अंकित वांछित सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को 2 सप्ताह में भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत विभिन्न सिविल अपील, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, के संबंध में भी सम्पूर्ण विवरण संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सूचना भी 2 सप्ताह में उपलब्ध करावें।


## प्राफार्मा

वर्ष 2014-15 में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत विभिन्न सिविल अपीलों जो विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है के संबंध में विवरण

S.N.	Civil Appeal No.	Title	Date of decision in concerned writ	Date of statnding Committees Meeting	Date of filing Appeal filed	Period of Delay	Reasons of delay	Action taken by the AD against the defaulting officer/employee found responsible for delay

संलग्न:-उक्तानुसार कृ.प.उ.

भवदीय,



(ए.के.सिंह)

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
श्रम एवं विधि  
राजस्थान जयपुर